प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– चोरगलिया क्षेत्र की ग्राम पंचायतें
तहसील हल्द्वानी, जिला– नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत परियोजना जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण हेतु 0.735 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 0.735 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में उक्त नहर से लाभान्वित होने वाले ग्राम पंचायतों को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारियों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि लाभान्वित ग्राम पंचायतों के ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग हल्द्वानी प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
न्याय पंचायत लाखनमण्डी
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

ग्राम प्रधान
(छत्रपति बेलवाल)
प्रधान
ग्राम पंचायत लाखनमण्डी
वि०ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रमाण--पत्र 23.1

दिनांक 25.4.2016 को जनप्रतिनिधियों की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क0सं0	ग्राम सभा का नाम	जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर/ मुहर
1	2	3
1-	रवनवाल कटान	हेमा देवी प्रधान, ग्राम पंचायत खनवाल कटान विकास खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
2-	नयागाँव कटान	Hemlata (हेमलता फर्सवान) प्रधान ग्राम पंचायत नयागांव कटान वि0ख0 हल्द्वानी (नैनीताल)
3.	लारवनमण्डी	(छत्रपति बेलवाल) प्रधान ग्राम पंचायत लाखनमण्डी वि0ख0 हल्द्वानी (नैनीताल)
4.	आमरवेडा	S.Kaur श्रीमती सुरजीत कौर ग्राम प्रधान ग्राम.सं.-चोरगलिया आमखेड़ा वि०ख०-हल्द्वानी, नैनीताल (उ०ख०)
4-	लारवनमंडी किसान सेवा समिति	अध्यक्ष लाखनमण्डी किसान सेवा सह० समिति लि० चोरगलिया जिला नैनीताल.

Doc ii

(1·6)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अंतर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का विवरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, हल्द्वानी

उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.735 है0 आरक्षित वन भूमि 0.00 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.735 है0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील हल्द्वानी) की दिनांक 03.05.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :

अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री पंकज उपाध्याय, उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी (अध्यक्ष)
2. श्री प्रकाश चन्द्र आर्या, उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी (सदस्य)
3. सहायक समाज कल्याण अधिकारी, हल्द्वानी (सदस्य/सचिव)
4. श्रीमती निर्मला जोशी बी0डी0ओ0 क्षेत्र हल्द्वानी (सदस्य)

उप प्रभागीय वनाधिकारी उप प्रभाग हल्द्वानी

उप जिलाधिकारी हल्द्वानी (नैनीताल)

Block Development Officer HALDWANI (Nainital)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक का स्वागत करते हुऐ उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड के चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व तत्सम्बन्धी कार्यों का निर्माण चोरगलिया के कि.मी. 82 व चोरगलिया से नन्धौर नदी तक 5 कि.मी. फॉरेस्ट रोड पर परियोजना हेतु 0.735 है0 वन भूमि सिंचाई विभाग हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित

(1.6)

नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुसंशा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व तत्सम्बन्धी कार्यों का निर्माण चोरगलिया स्थित कि.मी. 82 व नन्धौर नदी तक फॉरेस्ट रोड 5 कि.मी. पर परियोजना के निर्माण हेतु 0.735 है. वन भूमि सिंचाई खण्ड हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हल्द्वानी
जनपद– नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हल्द्वानी
जनपद– नैनीताल

प्रपत्र– 23.3

परियोजना का नाम – जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण– पत्र

जनपद नैनीताल के विधान सभा के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व नहरों का निर्माण पर 0.735 है0 प्रभावित वन भूमि है। परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि 0.735 है0 प्रयोक्ता ऐजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/ अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा सम्बन्धित सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जाति, जनजाति, वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है, व न किसी जनजाति/वनवासी के वनों का अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

उपजिलाधिकारी
हल्द्वानी
उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी

जिलाधिकारी
नैनीताल

(1.6)

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण हेतु 0.735 है0 वन भूमि (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाइपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

उपजिलाधिकारी
हल्द्वानी

जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रपत्र–21

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

(आम सभा सहमति प्रमाण पत्र संलग्न है)

सहायक अभियंता
सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी

2·24

प्रमाण–पत्र 21

आम सभा सहमति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 25-04-2016 को चोरगलिया क्षेत्र के ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास खण्ड हल्द्वानी, तहसील– हल्द्वानी, जिला– नैनीताल में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैन्च वियर व तत्सम्बन्धी कार्यों का निर्माण हेतु समरेखन के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ। सभी जनप्रतिनिधियों ने एक मत एवं एक स्वर से उक्त निर्माण से सहमति व्यक्त की तथा उक्त समरेखन के अनुसार उक्त निर्माण कार्य से किसी भी ग्रामीण / जनप्रतिनिधियों को कोई आपत्ति नहीं है।

हेमा देवी
प्रधान,
ग्राम पंचायत जनवाल कटान
विकास खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

Hemlata
(हेमलता फर्सवान)
प्रधान
ग्राम पंचायत नयागांव कटान
वि०ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

(छत्रपति बेलवाल)
प्रधान
ग्राम पंचायत लाखनमण्डी
वि०ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

श्रीमती सुरजीत कौर
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत आमखेड़ा
ग्रा० मं०-चोरगलिया नैनीताल (उ०ख०)
हल्द्वानी, नैनीताल

अध्यक्ष
लाखनमण्डी किसान सेवा सह० समिति लि०
चोरगलिया जिला नैनीताल.

ग्राम वासी

1 महेश चन्द्र पूर्व प्रधान लाखनमण्डी
2- [illegible] हरीश चन्द्र
3- [illegible]
4- हेम चौसाली
5- आनंद सिंह
6- Ganesh
7 देवा सिंह
8 [illegible]
9- [illegible]
27 जोगा राम
28 पूर्व प्रधान
28 [illegible]

10 – [illegible] सिंह
11 – दीपक जोशी
12 – [illegible]
13 [illegible]
14 Mahesh [illegible]
15 [illegible]
16 किशन दत्त
17 [illegible]
18 दिपक जोशी
19 चन्द्रशेखर
20 हरेन्द्र सिंह कार्की
21 – Tara Singh [illegible]
22 – [illegible]
23 [illegible]
24 [illegible]
25 [illegible] (प्रदीप [illegible])
26. [illegible]